कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की सप्तम बैठक दिनांक 20–11–2007 की कार्यवृत्ति

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची संलग्न है।

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
1 रा0औ0मि0 कार्य परिषद की षष्टम बैठक दि0 16–05–07 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।		कार्यवाही अनुमोदित।
2. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की दिनांक 16.05.2007 को आयोजित षष्टम बैठक के कार्यवृत्ति के अनुपालन आख्या।	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की षष्टम बैठक दिनांक 16.05.2007 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन पर संज्ञानित होते हुए निम्न निर्णय/निर्देश लिये गये– 1. कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दिये गये मिशन कार्यक्रमों के तकनीकी अप्रेजल एवं अनुश्रवण कार्य उपकार द्वारा करने हेतु मिशन मैनेजमेन्ट मद से प्रोजेक्ट के सापेक्ष 2 प्रतिशत धनराशि दिये जाने पर सहमति दी गई। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से प्रस्तावों के अनुमोदन के उपरान्त कार्यक्रम क्रियान्वयन में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए गहन अनुश्रवण एवं उत्पादन स्तर तक पहुंचाने के कार्य की निगरानी उपकार द्वारा की जायेगी। 2. गिरि विकास अध्ययन संस्थान से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराये जाने पर सहमति प्रदान की गई तथा निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करा लिया जाये तथा यदि लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय से प्रस्ताव न प्राप्त हों तो मिशन के शेष जनपदों हेतु भी गिरि विकास अध्ययन संस्थान से पुनरीक्षित प्रस्ताव मांग लिये जायें। 3. वर्तमान में प्रदेश में आलू के क्षेत्रफल एवं उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तापूर्ण आलू बीज की उपलब्धता न होने पर यह निर्देशित किया गया कि आलू बीज की रणनीति तैयार करने हेतु सी0पी0आर0आई0 एवं कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप ब्रीडर आलू बीज का उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर ऐसी व्यवस्था की जाये कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वांछित मात्रा	कार्यवाही सन्दर्भित निर्णयों/निर्देशों के साथ संज्ञानित की गई।

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
	में आलू का ब्रीडर बीज किसानों को सुलभ हो सके। इस निमित्त कृषि विभाग के प्रक्षेत्रों पर तथा प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों पर भी ब्रीडर और प्रमाणित बीज उत्पादन के कार्यक्रम को कराया जाए। 4. मिशन अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में संहत क्षेत्रों में सिट्रस को भी शामिल कर लिया जाये। 5. बिन्दु 8 के सन्दर्भ में लाभार्थी कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत निवेशों की व्यवस्था करने हेतु एक क्रय नीति तैयार की जाये जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समावेशित किया जायें। अ) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के स्रोतों (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की पौधशालाओं) को चिन्हित करते हुए समस्त मिशन जनपदों को स्रोतों की सूची उपलब्ध करा दी जाये जिससे लाभार्थी कृषक उन स्रोतों से सीधे रोपण सामग्री क्रय कर सकें। इस निमित्त चिन्हित धनराशि को मूल्य में समायोजित कर लिया जाये। ब) सी0आई0एस0एच0 से उपलब्धता के आधार पर अधिकतम रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध कराई जाये। स) बायोटेक पार्क से भी रोपण सामग्री की आपूर्ति नियमानुसार कराई जाए। द) अन्य आवश्यक निवेश जो उपवर्णित बिन्दुओं से पूर्ति न हो सकें उनको व्यवस्था अर्धसरकारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथा– हाफेड, यू0पी0 एग्रो आदि के माध्यम से मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कराई जा सकती है। य) आवश्यक औद्यानिक निवेशों के प्रोफार्मा सप्लायर्स को हतोत्साहित करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाये। इसके साथ ही उ0प्र0 के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में स्थित पंजीकृत पौधशालाओं की सूची, उत्पादन क्षमता तथा औसत स्टाक उपलब्धता की सूचना उपलब्ध कराई जाये। रोपण सामग्री की गुणवत्ता मानकों से सर्व साधारण को भिज्ञ कराने हेतु सरल भाषा में लीफ लेट्रा छपवाये जायें। चिन्हित पौधशाला प्रभारियों/स्वामियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाये तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उनसे एम0ओ0यू0 कराया जाये। एम0ओ0यू0 तैयार करने हेतु विभाग के पौधशाला अनुभाग को निर्देशित किया गया।	

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
	6. बिन्दु 9 के अनुमोदन के साथ यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2007–08 हेतु व्यय के आडिट हेतु सी0ए0 फर्मों से ई0ओ0आई0 मांग ली जाये। 7. बिन्दु सं0 13 के अन्तर्गत नेफेड को दिये गये कार्य की समीक्षा कर ली जाये। यदि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो रहा है तो उन्हें संज्ञानित कराकर अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया जाये तथा उनसे अब तक हुए कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जाये। 8. पी0एफ0ए0डी0 से सम्पर्क कर शेष 8 गैर एन0एच0एम0 जनपदों (जो रा0औ0मिशन से आच्छादित नहीं है) जिनमें **सघन क्षेत्रो में व्यवसायिक औद्यानिक विकास योजना** संचालित की जानी है, के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। 9. बिन्दु सं0 14.2 के अन्तर्गत एन0जी0ओ0 संस्थाओं की स्क्रूटनी कर ली जाये तथा डास्प एवं अन्य योजनाओं में उनके द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाये। 10. जनपदों में मिशन अन्तर्गत सेवारत क्षेत्रीय सलाहकार हेतु निर्धारित योग्यता तथा आरक्षण नियम एवं आयु संबंधी निर्देशों के अनुपालन की आख्या निदेशक मिशन को प्रेषित करते हुये इनका जाब चार्ट निर्धारित किया जाये। उनकी उपस्थिति एवं किये गये कार्यो का अभिलेखी करण तथा सत्यापन किया जाये और पुष्टि उपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाये।	
3. राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत पूर्व प्रेषित 16 जनपदों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 14 नवीन जनपदों (जिनमें सोनभद्र, संत रविदास नगर एवं हाथरस भी शामिल है) की वार्षिक कार्य योजना	राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरान्त मिशन कार्यक्रमों का लाभ प्रदेश के अन्य जनपदों के कृषकों को प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन का विस्तार 16 अन्य नवीन जनपदों (कानपुर, फैजाबाद, झांसी, मिर्जापुर, बांदा, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, आजमगढ़, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा) में करने का प्रस्ताव भारत सरकार को कार्य योजना बनाकर रु0 3847.97 लाख का प्रेषित किया गया था। जिस पर राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन भारत सरकार की कार्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त 14 जनपदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें पूर्व प्रेषित आजमगढ़, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा को हटा दिया गया है तथा तीन नवीन जनपदों सोनभद्र, संत रविदासनगर (भदोही) एवं हाथरस (महामाया नगर) को	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
2007–08 का औपचारिक अनुमोदन।	शामिल किया गया है । इस प्रकार निम्नांकित 14 जनपदों में राज्य औद्यानिक मिशन की योजना वर्ष 2007–08 से विस्तारित की गई है:– सोनभद्र, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, फैजाबाद, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर। अतएव कृपया उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदत 14 नवीन जनपदों की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2007–08 को कार्य परिषद औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	
4. राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत कृषि विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तकनीकी अप्रेजल एवं अनुश्रवण कार्यो हेतु मिशन मैनेजमेन्ट मद से 3.5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत धनराशि उपकार को दिये जाने के कार्य परिषद के निर्णय पर उपकार से प्राप्त असहमति के आलोक में इस मामले पर विचार।	मिशन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 16.5.2007 में यह निर्णय लिया गया था कि मिशन के तकनीकी प्रकृति तथा प्रोजेक्ट आधारित कार्यक्रमों का तकनीकी मूल्यांकन अब भारत सरकार के स्तर पर किया जाना है। अतः उपकार के माध्यम से अब अपेक्षाकृत कम परामर्शी कार्य अपेक्षित होगा। अतः मिशन के तकनीकी अप्रेजल एवं अनुश्रवण कार्य उपकार के माध्यम से ही लिया जाये, किन्तु धनराशि का आवंटन सीधे मिशन निदेशालय से संबंधित संस्थाओं को किया जाये, जिससे वह राज्य औद्यानिक मिशन को सीधे जवाबदेह हों। उक्त क्रम में उपकार को मिशन मैनेजमेन्ट से 3.5 प्रतिशत के स्थान पर उनकी सहमति प्राप्त कर 1 प्रतिशत धनराशि दिया जाये। मिशन निदेशालय के उक्त प्रस्ताव पर उपकार द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गई है। उपकार के माध्यम से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के मिशन के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार को संस्तुति किये जाने के पूर्व तकनीकी अप्रेजल एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त अनुश्रवण हेतु दायित्व दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।	कार्य परिषद ने उपकार को औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं/संस्थानों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तकनीकी अप्रेजल, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत धनराशि मिशन मैनेजमेन्ट मद से दिये जाने पर सहमति दी गई।
5. राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत जिलाधिकारी की व्यस्तता के कारण दित्तीय प्रगति की धीमी गति में सुधार लाने हेतु जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी को	राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत वर्तमान में अनुदान धनराशि के भुगतान हेतु जिलाधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेकों का निर्गमन किया जाता है। विगत वर्षो में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से यह अनुभव किया गया है कि जनपदों में जिलाधिकारी की कानून व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक कार्यो में अत्यधिक व्यस्तता के कारण जिला औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों यथा चेक निर्गमन आदि हेतु समय नहीं मिल पाता। अतः यदि जिलाधिकारी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त चेक निर्गत करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को अधिकृत करना चाहें तो उन्हें इसकी	औद्यानिक मिशन कार्यक्रमों/व्ययों की प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त चेक निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी के

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
चेक निर्गत करने का अधिकार दिये जाने पर विचार।	अनुमति दे दी जाये। लखनऊ, सीतापुर तथा झांसी जनपदों में जिलाधिकारो ने उपरोक्त निर्देश/व्यवस्था के क्रम में चेक निर्गमन का उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दिये है और कार्य में अपेक्षित प्रगति भी हुई है। अतः मिशन की वित्तीय प्रगति को गति प्रदान करने के उददेश्य से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेकों का निर्गमन किये जाने का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	संयुक्त हस्ताक्षर से मिशन खातों का संचालन/चेक निर्गमन हेतु शासनादेश जारी करा दिया जाये।
6. 14 नवीन जनपदों में जिला औद्यानिक मिशन के गठन की औपचारिक अनुमति।	राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत 14 नवीन जनपदों की कार्ययोजना को भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त राज्य औद्यानिक मिशन द्वारा इन नवीन 14 जनपदों में जिला औद्यानिक मिशन का गठन/पंजीकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किये जाने तथा मिशन का अलग खाता भारतीय स्टेट बैंक की कोर बैंकिंग शाखा में खोले जाने के निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। अतएव कार्य परिषद से इन 14 नवीन जिला औद्यानिक मिशन के गठन एवं मिशन का अलग खाता भारतीय स्टेट बैंक की कोर बैंकिंग शाखा में खोले जाने का औपचारिक अनुमोदन निवेदित है।	यथा प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की कोर बैंकिंग शाखा में जिसमें इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर की सुविधा हो में खाता खोले जाने तथा जि0औ0मि0 के गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया।
7. भारत सरकार को भेजे गये परियोजना आधारित कार्यक्रमों का औपचारिक अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन द्वारा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त 28 परियोजना आधारित प्रस्ताव प्रमुख सचिव/उपाध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन के माध्यम से भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्तानुसार भारत सरकार को प्रेषित परियोजना आधारित कार्यक्रमों का कार्यपरिषद से अनुमोदन निवेदित है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव/उपाध्यक्ष राज्य औद्यानिक मिशन की अध्यक्षता में गठित समिति में ढांचागत सुविधाओं के सृजन वाले प्रस्तावों पर अप्रेजल करने हेतु यथा आवश्यकता पी0डब्लू0डी0 के मुख्य अभियन्ता तथा निदेशक नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित पी0एफ0ए0डी0 के सम्बन्धित विशेषज्ञ को भी विशेष

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
		आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रस्तावों के परीक्षण हेतु रखा जा सकता है।
8 अ) 2 फोटो स्टेट मशीन का क्रय	अ) मिशन सम्बन्धी कार्यों के लिये फोटोस्टेट कराने हेतु निदेशालय की फोटोस्टेट मशीन का उपयोग किया जा रहा है जिससे कार्य सम्पादन में बाधा हो रही है। अतः मिशन के अन्तर्गत फोटोस्टेट मशीन उपलब्ध न होने के कारण कार्य सम्पादन में हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखतें हुये मिशन मुख्यालय पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ट्राली (निदेशक मिशन के कैम्प कार्यालय हेतु तथा नोडल अधिकारी मिशन के कार्यालय हेतु) का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. की दर अनुबन्ध के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है,इसके क्रय पर रू0 2,11,126/– का व्यय होगा।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
ब) मिशन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों पर हुये व्ययों का कार्योत्तर अनुमोदन।	ब) राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से कराये गये विज्ञापनों पर रू0 74,925/– का व्यय हुआ है जिसका कार्यपरिषद से कार्योत्तर अनुमोदन।	यथा प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि भविष्य में व्यापक सरकुलेशन वाले समाचार पत्रों में ही विज्ञापन प्रकाशित कराये जायें।
स) टेलीफोन एवं इण्टरनेट कनेक्शन की कार्योत्तर स्वीकृति	मिशन के अन्तर्गत ई मेल व इण्टरनेट सुविधा के लिये इण्टरनेट कनेक्शन टेलीफोन सुविधा सहित मे0 एयरटेल कं0 से दिनांक 21.06.06 को संयोजित कराया गया था। बी.एस.एन.एल. की फिक्स्ड फोन लाइन्स में प्रायः तकनीकी गड़बड़ियों के चलते दूरभाष सम्पर्क बनाये रखने के लिये एक टेलीफोन कनेक्शन मे0 रिलायन्स कं0 से दिनांक 08.12.06 से संयोजित कराया गया। उपरोक्त बिन्दुओं का अनुमोदन कार्यपरिषद से निवेदित है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
9. अन्य बिन्दु अ) माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री जयराम नरेश की अध्यक्षता में "इन्टरफेस आन मिन्ट,	अ) निर्देशित किया गया कि उक्त संगोष्ठी में की गई घोषणाओं पर आवश्यक कार्यवाही करायी जाये। ब) मेंथा के उत्पादन/विपणन को मण्डी शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय/आदेश हो चुका है फिर भी मण्डी शुल्क लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसकी पुष्टि कर शासन से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाये।	

एजेण्डा	कार्यवाही	निर्णय
09 अक्टूबर, 2007 में की गई घोषणाओं पर कार्यवाही।	स) भविष्य में कार्य परिषद की आहूत होने वाली बैठक में एजेण्डा नोट्स निम्न क्रमानुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराये जायें – 1. पिछली कार्यवृत्त का अनुमोदन। 2. अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण। 3. मिशन कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा। 4. कार्य परिषद बैठक के एजेण्डा के अन्य बिन्दु।	

निदेशक
राज्य औद्यानिक मिशन
उद्यान भवन, लखनऊ

PRO 20.11.07